2013, 9 एस.सी.आर. 384

ए. एच. पी. अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ एवं वगैरा

बनाम

वी. हिमाचल प्रदेश एस. वी. के. के. वगैरा

अंर्तवर्ती आवेदन संख्या 6/2012 के 6 में विशेष अनुमति याचिका (सी.)

नं. 30143/2009 सितम्बर 13, 2013

(सुरेंदर सिंह निज्जर और सी पिनाकी चंद्र घोष, जे.जे.)

सेवा कानूनः

पदोन्नति में आरक्षण-परिणामी वरिष्ठता-एम. नागराज मामले में जारी निर्देशों की अनुपालना-हिमाचल प्रदेश राज्य ने दिनांक 07.09.2007 और 23.01.2010 को परिपत्र जारी किया-117 वें संविधान संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करने के लिए राज्य सरकार की याचिका-माना गयाः रिकॉर्ड पर सामग्री पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के पूर्व निर्णय का पालन न करने की राज्य की मंशा को इंगित करता है-राज्य सरकार को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया-प्रस्तावित 117 वां संवैधानिक संशोधन याचिकाकर्ता के परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के दावे की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अभ्यास और प्रक्रियाः

अदालत के समक्ष वकील द्वारा किया गया कथन-तदनुसार मामले का निपटाना-माना गया। जब अदालत के समक्ष कथन दिया जाता है, तो निश्चित रूप से, यह माना जाता है कि यह ईमानदारी से किया गया है और केवल अदालत तक पहुंचने का प्रयासभर नहीं है-वकील द्वारा किये गये कथन से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह ढीठ, शरारती, भ्रामक और निश्चित रूप से झूठा नहीं होगा-वकील द्वारा किए गए बयानों में यह विश्वास इस धारणा पर आधारित है कि वकील को यह ज्ञात है कि वह अदालत का एक अधिकारी है।

07.09.2007 को, संविधान में 85 वें संशोधन को प्रभावी करने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या पीईआर (एपी)-सी-एफ (1)-1/2005 द्वारा निर्देश जारी किए, और इस प्रकार असाइनमेंट के लिए प्रावधान किया गया। राज्य के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परिणामी वरिष्ठता के लिए प्रावधान किया गया। यह नीति 17.06.1995 से प्रभावी होनी थी। निर्देशों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने एम. नागराज पर भरोसा करते हुए दिनांक 18.09.2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, और दिनांक 07.09.2007 के निर्देशों को रद्द कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने निर्देश बिना मात्रात्मक डेटा

एकत्रित कर जारी किया गया था। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 16.11.2009 द्वारा दिनांक 07.09.2007 के निर्देशों को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2009 को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल प्रदेश एससी/एसटी सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा 2009 की एसएलपी सिविल संख्या 30143 में चुनौती दी गई।

दिनांक 26.04.2010 के आदेश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करने और उचित आदेश पारित करने के लिए राज्य द्वारा दिए गए वचन पर एसएलपी संख्या 30143/2009 और अवमानना याचिका संख्या 27/2010 का निपटारा कर दिया। राज्य सरकार ने बताया कि उन्होंने आवश्यक डेटा एकत्र कर लिया है इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आवेदन संख्या 6 दायर कर राज्य को 25.04.2011 को कैबिनेट उप समिति को पहले से एकत्र या प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने दिनांक 06.09.2012 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को राज्य के भीतर सेवाओं में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया। दिनांक 31.01.2013 को, राज्य ने निर्देश दिया कि चूंकि संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 संसद में विचाराधीन है, इसलिए राज्य

में संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले को स्थगित किया जा सकता है। दिनांक 04.02.2013 को, राज्य सरकार ने न्यायालय द्वारा 07.01.2013 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में संशोधन की मांग की, जिसके तहत राज्य को कोई पदोन्नति नहीं करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने प्रार्थना की कि पदोन्नति में मौजूदा आरक्षण प्रणाली को संविधान(117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 से संबंधित मामले को अंतिम रूप देने तक जारी रखा जाए।

अंतरिम आवेदन की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः 1.1. मुद्दा केवल यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि प्रतिवादी-राज्य अपने निर्णयों को लागू करता है। दिनांक 31.01.2013 के अपने निर्णय को लागू न करने के लिए राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र बहाना 117 वें संशोधन विधेयक का लंबित होना है। राज्य ने स्वीकार किया था कि आवश्यक डेटा एकत्र किया गया था और 25.04.2011 को केबिनेट उप-समिति के समक्ष रखा गया था, जिसका आधार 31.10.2009 था। राज्य ने यह भी पुष्टि की कि 30.06.2011 की स्थिति दर्शाने वाला ताजा डेटा शीघ्र ही उपलब्ध होगा। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने में प्रतिवादी राज्य के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। एम. नागराज में निर्देशों का अनुपालन न करना ही एकमात्र कारण था जिसके कारण उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.09.2007 के निर्देशों को

रद्द कर दिया है। आवश्यक डेटा के संग्रह के साथ, आवश्यक निर्णय न लेने का कोई उचित कारण मौजूद नहीं है।

1.2. राज्य ने 85 वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय लिया है। नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिनांक 07.09.2007 जारी किये गये थे। इन निर्देशों में सरकार ने एससी/एसटी कर्मचारियों को वरिष्ठता देने का फैसला किया था। लेकिन यह परिपत्र दिनांक 07.09.2007 को परिपत्र दिनांक 16.11.2209 द्वारा वापस ले लिया गया। हालाँकि, इस परिपत्र के कार्यान्वयन पर इस न्यायालय द्वारा 04.12.2009 को रोक लगा दी गई थी। इसके बाद राज्य ने दिनांक 16.11.2009 के परिपत्र को वापस लेते हुए दिनांक 20.01.2010 को एक और परिपत्र संख्या पी ई आर (एपी) सी-एफ(1)/2009 जारी किया। इस प्रकार, पदोन्नति करने के लिए दिनांक 07.09.2007 के परिपत्र से पहले प्रचलित स्थिति फिर से लागू थी। इसके बाद 23.01.2010 को एक और परिपत्र जारी किया गया। दिनांक 16.11.2009 के परिपत्र में संशोधन करते हुए "जहाँ भी आरक्षण उपलब्ध है। शब्दों को जहाँ भी आरक्षण के आधार पर परिणामी वरिष्ठता लागू होगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया। इतने सारे परिपत्र जारी करना राज्य की मंशा का संकेत है कि वह पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के पिछले फैसले का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए, 26.04.2010 को इस न्यायालय के समक्ष कथन किया गया, जिसके आधार पर एसएलपी का

निपटारा किया गया। इस न्यायालय की राय है कि यह बयान केवल उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की सत्यता के संबंध में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने से बचने के लिए था।

2.1. जब इस न्यायालय के समक्ष कथन किया जाता है, तो यह प्राकृतिक रूप यह मान लिया जाता है कि वह कथन ईमानदारी से किया गया है और यह अदालत तक पहुंचने का प्रयास नहीं है। इस न्यायालय द्वारा कई मामले, यहां तक कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल होते हैं, अक्सर पक्षों के वकील द्वारा किए गए कथनों के आधार पर निपटाए जाते हैं। कथन को स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि यह बिना किसी संदेह के, ईमानदार, सच्चा, गंभीर और न्याय के हित में माना जाता है। वकील के बयान से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह तुच्छ, शरारतपूर्ण, भ्रामक और निश्चित रूप से झूंठा होगा। वकील द्वारा किए गए बयानों में यह विश्वास इस धारणा पर आधारित है कि वकील को पता है कि वह न्यायालय का एक अधिकारी है। रेंडेल बनाम वॉर्स्ली (1967) 1 क्यूबी 443-संदर्भित।

2.2. मौजूदा मामले में, 26.04.2010 को राज्य सरकार की ओर से कथन किया गया था कि "राज्य एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करने और उचित समय के भीतर, यानी विवरण और डेटा एकत्रित के लगभग तीन माह के भीतर उचित आदेश पारित करने का

इरादा रखता है।" यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक आरक्षण में नीति अपनाने के लिए परमादेश चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि राज्य अपने निर्णय स्वयं लागू करे।

2.3. राज्य द्वारा पेश किया गया अंतिम बहाना यह है कि वह 117 वें संविधान संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहा है। 26.04.2010 को इस न्यायालय में किए गए कथन का सम्मान न करने के लिए दिए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय समय विस्तार के लिए राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर बहुत अधिक विचारशील रहा है। प्रस्तावित 117 वां संवैधानिक संशोधन परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति देने के याचिकाकर्ताओं के दावे की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। संशोधन का उद्देश्य आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना है। पैरा 32-33

2.4. इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन 17.06.1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किया जाना है। मामले के इस दृष्टिकोण में, आरक्षण की नीति को लागू करने में राज्य सरकार के रास्ते में कोई बाधा नहीं हो सकती है, जो 26.4.2010 को इस न्यायालय के समक्ष कथन किये जाने से पहले विभिन्न निर्देश जारी होने तक मौजूद थी। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय या तो 25.04.2011 को कैबिनेट उप एच समिति

को पहले ही प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर या 30.06.2011 की स्थिति को दर्शाने वाले आंकड़ों के आधार पर लेने का निर्देश दिया गया है। (पैरा 34-35,

एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2006 (7) एससीआर 336 = 2006 (8) एससीसी 212-संदर्भित। करम चंद बनाम. हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य 1988 (3) सप्ल. एससीआर 702 = 1989 (1) एससीसी 342, इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। 1992 (2) सप्ल. एससीआर 454 = 1992 (3) पूरक। एससीसी 217 य आर.के. सभरवाल और अन्य। बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, 1995 (2) एससीआर 35 = 1995 (2) एससीसी 7 45 य साध्उद्दीन अहमद एवं अन्य बनाम. समता एंडोध्एन 2012 (7) एससीआर 402 = 2012 (10) एससीसी 235, भारत संघ एवं अन्य। बनाम वीरपाल सिंह चैहान एवं अन्य। 1995 (4) पूरक। एससीआर 158 = 1995 (6) एससीसी 684, अजीत सिंह जनुजा और अन्य। बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। 1996 (3) एससीआर 125 = 1996 (2) एससीसी 715, चंदर पाल और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य 1997 (10) एससीसी 474, जगदीश लाल और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। 1997 (6) एससीसी 538, अजीत सिंह और अन्य। (ध्ध्) बनाम। पंजाब राज्य एवं अन्य। 1999 (2) सप्ल. एससीआर 521 = 1999 (7) एससीसी 209 य सूरजभान मीना एवं अन्य बनाम. राजस्थान राज्य एवं अन्य। 2010 (14) एससीआर 532= 2011

(1) एससीसी 467य और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। राजेश कुमार एवं अन्य। 2012 (4) एससीआर 118 = 2012 (7) एससीसी 1य सीए। राजेंद्रन बनाम. भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य। 1968 (1) एससीआर 721य और भारत संघ बनाम. आर. राजेश्वरन और अन्य 2003 (9) एससीसी 294-उद्धृत।

केस लॉ संदर्भ एफ 1988 (3) सप्ल. एससीआर 702 उद्धृत पैरा 6 1992 (2) सप्ल। एससीआर 454 उद्धृत पैरा 7 1995 (2) एससीआर 35 उद्धृत पैरा 7 2006 (7) पूरक। एससीआर 336 पैरा 10 2012 (7) का हवाला दिया गया एससीआर 402 पैरा 21 1995 (4) सप्लिमेंट का हवाला दिया गया। एससीआर 158 उद्धृत पैरा 22 1996 (3) एससीआर 125 उद्धृत पैरा 22 1996 (2) एससीसी 115 उद्धृत पैरा 22

1997 (10) सेकंड 474 पैरा 22 उद्धृत 1997 (6) सेकंड 538 पैरा 22 1999 (2) पूरक उद्धृत। एससीआर 521 उद्धृत पैरा 22 2010 (14) एससीआर 532 उद्धृत पैरा 22 2012 (4) एससीआर 118 उद्धृत पैरा 22 1968 (1) एससीआर 721 उद्धृत पैरा 23 2003 (9) सेक 294 उद्धृत पैरा 23 s (1967) 1 क्यूबी 443 पैरा 30 का हवाला दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः आई.ए. एसएलपी (सिविल) संख्या में नंबर 6/2009 का 30143/2013 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 91 के साथ।

शिमला के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एसएलपी (सिविल) संख्या 30143/2009 से स्थानांतरित नंबर 2628/2008 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2009 से उत्पन्न.

विजय हंसारिया, डॉ. राजीव धवन, कनिका सिंह, अशोक माथुर, देबासिस मिश्रा, किरण सूरी, एस.जे. अमिथ, सूर्यनारायण एफ सिंह, प्रगति नीखरा, वरिंदर कुमार शर्मा, पी.वी. योगेश्वरन उपस्थित पक्षों के लिए श्री सुरिनंदर सिंह निज्जर जे द्वारा सुनाया गया एसएलपी सिविल नंबर 30143/2009 में आई ए नंबर व अवमानना याचिका सी नंबर 91/2013 के साथ।

सुरिंदर सिंह निज्जर, जे.

1. यह अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 6 16 मार्च, 2012 को अपीलकर्ताओं द्वारा 2009 की एसएलपी (सिविल) संख्या 30143 में दायर किया गया था, जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। (एक महीने की अवधि के भीतर 25 अप्रैल, 2011 को पहले से एकत्र या कैबिनेट उप समिति को प्रस्तुत किए गए डेटा के आधार पर पदोन्नति) वर्तमान आईए पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, 2009 की एसएलपी (सिविल) संख्या 30143 से संबंधित तथ्यों का संदर्भ देना उचित होगा, जिसे इस न्यायालय द्वारा 26 अप्रैल, 2010 को निपटाया गया था।

2. 2009 की एसएलपी (सिविल) संख्या 30143 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18 सितंबर, 2009 के खिलाफ दायर की गई थी। उक्त निर्णय/आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी-टी नंबर 2628/2008 को अनुमति दी और इस तरह हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जारी 7 सितंबर, 2007 के निर्देशों को रद्द कर दिया। उक्त निर्देशों में राज्य के अधीन सेवाओं में सभी वर्गों के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

3. उपरोक्त एसएलपी का निस्तारण दिनांक 26 अप्रैल, 2010 को निम्नलिखित आदेश पारित कर किया गयाः-

"हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य सेवा में एससी/एसटी की पदोन्नति के संबंध में 07.09.2007 को एक परिपत्र जारी किया है। उक्त परिपत्र को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा परिपत्र को रद्द कर दिया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि 07.09.2007 को जारी परिपत्र को वापस ले लिया गया है क्योंकि राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करना चाहता है और उचित समय के भीतर यानी आवश्यक विवरण और डेटा एकत्र होने के लगभग तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करना चाहता है।

यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो याचिकाकर्ता उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार इस विशेष अनुमति याचिका और अवमानना याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।"

4. यद्यपि वर्तमान आई ए 6 निस्तारित एसएलपी में दायर किया गया है, फिर भी उस तरीके पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें 16 अप्रैल, 2010 का आदेश पारित किया गया था।

5. 27 नवंबर, 1972 को भारत सरकार ने पत्र संख्या 27-2/71-ईएसटीटी/एससीबी के माध्यम से निर्देश जारी किये, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। 24 अप्रैल, 1973 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या 2-11/72-डी पी (ए पी पी टी) के माध्यम से निर्देश जारी किए, जिसके तहत कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। 9/13 अगस्त, 1973 को, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या 2-11/72-डी पी (ए पी पी टी) के माध्यम से निर्देश जारी किए, और इस प्रकार, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति से संबंधित केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया गया । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र सरकार की आरक्षण नीति 2 मार्च, 1972, 24 मार्च, 1972 और 11 अगस्त, 1972, 28 अक्टूबर

1972, 30 जनवरी, 1973 और 12 मार्च, 1973 के पत्र/आदेश में निर्धारित की गई थी।

6. इसी बीच 31 अक्टूबर, 1988 को इस न्यायालय ने करम चंद बनाम हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और अन्य के मामले में फैसला सुनाया। जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी गई पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता देने को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या पीईआर (एपी-11) एफ (1)-1/87 दिनांक 31 जनवरी, 1989 के निर्देशों द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में आरक्षण रोस्टर लागू किया।

7. बाद में, इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण स्वीकार्य नहीं है और 5 साल के बाद ऐसे आरक्षण को बंद करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, आरके सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, में इस अदालत ने माना कि जब निर्धारित कोटे के पदों पर आरक्षित वर्ग का कब्जा हो गया हो तो रोस्टर का संचालन बंद हो जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में भारत की संसद ने संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995 लागू किया, जिससे अनुच्छेद 16(4ए) जोड़ा गया जो राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई। 2001 में, संसद ने सरकारी सेवा में परिणामी वरिष्ठता के

साथ पदोन्नति की अनुमति देते हुए संविधा (85 वां संशोधन) अधिनियम को मंजूरी दे दी।

8. 7 सितंबर, 2007 को, संविधान में 85 वें संशोधन को प्रभावी करने की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या पी ई आर (एपी)-सी-एफ (1)-1/2005 के माध्यम से निर्देश जारी किए, और इस प्रकार प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने की गई। यह नीति 17 जून, 1995 से प्रभावी होनी थी। आगे दिए गए निर्देश इस प्रकार हैंः-

> "इस प्रकार 17.6.1995 से उपरोक्त संशोधन को लागू करने के राज्य सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारी भी आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता के हकदार होंगे। हालाँकि, नियंत्रण कारक या बाध्यकारी कारण, अर्थात् पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जो राज्य को अनुच्छेद 335 के तहत राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाती है, 50 प्रतिशत की अधिकतम मात्रात्मक सीमा की संवैधानिक आवश्यकता

के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू रहेगी। इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में राज्य सरकार ने 19.10.2006 से पहले ही उचित विचार के बाद पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है, इस प्रकार, एम.नागराज मामले में निर्णय के पैरा 124 के अनुसार डेटा का संग्रह किया जाना अनिवार्य है।

9. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, शिमला के समक्ष मूल आवेदन संख्या 19/2008 दायर करके निर्देशों को चुनौती दी गई थी। चूँकि उसके बाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण मूल आवेदन को शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई और निर्णय के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे 2008 की सिविल रिट याचिका-टी संख्या 2628 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। 18 सितंबर, 2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और 7 सितंबर, 2007 के निर्देशों को रद्द कर दिया गया।

10. अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य मामले में निर्धारित कानून पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने देखा कि राज्य यह दिखाने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है कि तथाकथित पिछड़े वर्ग वास्तव

में पिछड़े हैं और राज्य के तहत सेवा में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। यह भी माना गया कि राज्य को इस तरह से आरक्षण प्रदान करना होगा कि प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उच्च न्यायालय तब यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या 7 सितंबर, 2007 को निर्देश जारी करते समय राज्य द्वारा ऐसी कोई कवायद की गई थी। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य ने स्वीकार किया है कि इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने के लिए ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है। राज्य द्वारा इस तरह की कवायद न करने का कारण यह था कि चूंकि इंद्रा साहनी के मामले (सुप्रा) में फैसले से पहले ही राज्य में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की एक नीति थी, जिस कारण एम. नागराज के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार डेटा का संग्रह करना अनिवार्य था। राज्य की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय "उचित विचार" के बाद लिया गया था। इन कारणों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, और यह माना गया किः-

> "उचित विचारण मात्रात्मक डेटा एकत्र करने से बिल्कुल अलग है। यह अभ्यास आयोजित किया जाना है और इस तरह के अभ्यास के बिना पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, राज्य को तब तक आरक्षण देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि ऐसा अभ्यास नहीं किया जाता है और एम.नागराज के मामले में

संकेतित तर्ज पर स्पष्ट मात्रात्मक डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। हम यह भी बता सकते हैं कि''उचित विचार'' के अस्पष्ट संदर्भ के अलावा, आज तक राज्य ने हमारे सामने कोई स्पष्ट मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत नहीं किया है जो आरक्षण की आवश्यकता को स्थापित कर सके। केवल इसलिए कि संविधान के संशोधित प्रावधान राज्य को आरक्षण देने में सक्षम बनाते हैं, डेटा एकत्र न करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, शीर्ष अदालत द्वारा एम. नागराज के मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन होने के कारण निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए।"

11. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या पीईआर (एपी)-सीएफ (1) 01/2009 दिनांक 16 नवंबर, 2009 के माध्यम से, 7 सितंबर, 2007 के निर्देशों को रद्द कर दिया। पत्र में (दिनांक 16 नवंबर, 2009), हिमाचल प्रदेश राज्य ने यह भी निर्देश दिया कि 7 सितंबर, 2007 को या उसके बाद की गई सभी पदोन्नतियों को उक्त तिथि से पहले लागू प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकता है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति नीति की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जैसे कि 7 सितंबर, 2007 के निर्देश और उसके बाद के निर्देश कभी जारी ही नहीं किए गए हों।

12. उच्च न्यायालय के 18 सितंबर, 2009 के फैसले को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ और हिमाचल प्रदेश एससी/एसटी सरकारी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा दायर सिविल अपील / एसएलपी (सिविल) संख्या 30143/2009 में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने 4 दिसंबर, 2009 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया और आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। इस बीच, राज्य सरकार ने 16 नवंबर, 2009 के निर्देशों को वापस ले लिया और 20 जनवरी, 2010 के पत्र के माध्यम से नए निर्देश जारी किए, जिन्हें 16 मार्च, 2010 के पत्र द्वारा आगे संशोधित किया गया। उपरोक्त दो पत्रों द्वारा, सरकारी विभागों को परिणामी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति था।

13. 26 अप्रैल, 2010 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने राज्य द्वारा दिए गए वचन पर एसएलपी (सिविल) संख्या 30143 वर्ष 2009 और अवमानना याचिका संख्या 27/ 2010 का निपटारा कर दिया। उक्त आदेश में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहाः-

> "राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि 07.09.2007 को जारी परिपत्र को वापस ले लिया गया है क्योंकि राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करना चाहता है और उचित समय के भीतर यानी आवश्यक

विवरण और डेटा एकत्रित होने के लगभग तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करना चाहता है।"

यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो याचिकाकर्ता उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार इस विशेष अनुमति याचिका और अवमानना याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।"

14. इस न्यायालय ने 7 जुलाई, 2010 के आदेश द्वारा आईए एसएलपी के क्रमांक 5 को खारिज किया गया, जिसमें, उपरोक्त आदेश के संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने 31 दिसंबर, 2011 को आवश्यक डेटा एकत्र किया था। यह विधानसभा प्रश्न अतारांकित संख्या 196 के दिए गए उत्तरों से स्पष्ट है, जिसका उत्तर 4 अप्रैल, 2012 को दिया गया था। प्रश्न निम्नलिखित शर्तों में विशिष्ट थाः-

"(ए) राज्य में वर्तमान एससी/एसटी बैकलॉग कितना है और (बी) सरकार इन श्रेणियों के बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है? उपरोक्त प्रश्न (ए) और (बी) का उत्तर यह था कि आवश्यक जानकारी अनुलग्नक-1 ए पर है।

16. अनुलग्नक-ए के अवलोकन से पता चलता है कि 31 दिसंबर, 2011 तक राज्य और बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बैकलॉग स्थिति का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है.।

17. यह इस पृष्ठभूमि में था कि 16 मार्च, 2012 को याचिकाकर्ता द्वारा आईए नंबर 6 को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें राज्य को 25.04.2011 के पहले से एकत्र या केबिनेट उपसमिति को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर 1 माह भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में फैसला आने तक सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की। इस न्यायालय ने 6 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिएः-

> "हमारी राय में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने के प्रश्न पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक है"।

हिमाचल प्रदेश राज्य को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जाता है"। यह निर्देश 4 जुलाई, 2012 को इस आईए के जवाब में राज्य की प्रस्तुति पर विचार करने पर दिया गया था, कि याचिकाकर्ताओं को 25 अप्रैल, 2011 को कैबिनेट उप-समिति के समक्ष रखे गए आंकड़ों के संबंध में आपत्ति थी। तदनुसार, सरकार ने 30 जून, 2011 की स्थिति दर्शाने वाले नए सिरे से डेटा और सामग्री एकत्र करने का निर्णय लिया।प्रतिवादी राज्य के अनुसार, नीतिगत निर्णय 30 जून, 2011 की स्थिति को दर्शाने वाले डेटा से संबंधित होगा, जो शीघ्र ही उपलब्ध होगा।

18. 2 नवंबर, 2012 को, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा सिविल अपील में एक आईए दायर की गयी थी, जिसमें इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए 31 जनवरी, 2013 तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। 7 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा, यह न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य की मांग के अनुरूप उसे विस्तार दे दिया और उसे इस बीच कोई पदोन्नति नहीं करने का निर्देश दिया। 11 जनवरी, 2013 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने सभी विभागों को पदोन्नति देना बंद करने के निर्देश जारी किये। 31 जनवरी, 2013 को, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पत्र संख्या पी ई आर एपी-सी-एफ (1)- 2/2011 में देखा कि चूंकि संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 संसद में विचाराधीन है, इसलिए राज्य में संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम , 2001 का क्रियान्वयन टल सकता

है। यह भी निर्णय लिया गया कि 2009 के एसएलपी (सिविल) संख्या 30143 में 25` 012 के आईए नंबर 6 में 7 जनवरी, 2013 के अंतरिम आदेश के अनुसार 11 जनवरी, 2013 को जारी निर्देश इस बीच भी लागू रहेंगे। 4 फरवरी, 2013 को, हिमाचल प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय द्वारा 7 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में संशोधन की मांग की, जिसके तहत राज्य को कोई पदोन्नति नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उक्त हलफनामे में यह रुख अपनाया गया कि चूंकि संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 संसद में विचाराधीन है, इसलिए राज्य में संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम , 2001 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले को स्थगित किया जा सकता है। राज्य सरकार ने यह भी प्रार्थना की कि पदोन्नति में मौजूदा आरक्षण प्रणाली को संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 से संबंधित मामले को अंतिम रूप देने तक जारी रखा जाए।

प्रस्तुतियाँः-

19. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया उपस्थित हुए। जबकि, प्रतिवादी नंबर 1, हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन उपस्थित हुए।

20. श्री हंसारिया ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी है। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक

31 जनवरी 2013 में उल्लेख किया है कि आरक्षण प्रदान करने की 7 सितंबर 2007 के आदेश से पहले की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। इसलिए, परमादेश आरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि राज्य को अपने स्वयं के नीतिगत निर्णय को लागू करने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाना है।

21. श्री हंसारिया ने आगे कहा कि राज्य द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी सेवाओं में बैकलॉग है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि डेटा 31 अक्टूबर, 2009 को राज्य सरकार को उपलब्ध था, लेकिन इस तथ्य को इस न्यायालय से छुपाया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा लिया गया बचाव कि उन्होंने 117 वें संशोधन विधेयक के आधार पर 85 वें संशोधन के कार्यान्वयन से संबंधित मामले को स्थगित कर दिया है, बिना किसी आधार के है क्योंकि उसके पास पहले से ही डेटा है। अतः उन्हें इस पर निर्णय लेना ही होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सलाउद्दीन अहमद और अन्य बनाम समता आंदोलन पर भरोसा करते हुये यह प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने पहले राज्य को एम. नागराज (सुप्रा) और सूरज भान मीना (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन ने सबसे पहले निम्नलिखित मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की अवधारणा से संबंधित

प्रसिद्ध सिद्धांतों को दोहरायाः इंद्रा साहनी(सुप्रा), आरके सभरवाल (सुप्रा), भारत संघ और अन्य। बनाम वीरपाल सिंह चैहान और अन्य। 6, अजीत सिंह जनुजा और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। 7, चंदर पाल और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य 8, जगदीश लाल और अन्य। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। 9, अजीत सिंह और अन्य। (द्वितीय) बनाम. पंजाब राज्य और अन्य. 10, डॉ. धवन ने एम. नागराज के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया और कहा कि इस न्यायालय ने कुछ शर्तें तय की हैं जिनका अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन करना आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा कियाः

> "जैसा कि ऊपर कहा गया है, शक्ति की सीमाएँ, अर्थात् 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (संख्यात्मक बेंचमार्क), क्रीमी लेयर का सिद्धांत, सम्मोहक कारण अर्थात् पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक प्रस्तावित संशोधनों से दक्षता नष्ट नहीं होती है। उचित समय पर, हमें चुनौती मिलने पर आरक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानून पर विचार करना होगा। उस समय हमें यह देखना होगा कि शक्ति के प्रयोग से तयशुदा सीमाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

राज्य सीमा के अधीन आरक्षण प्रदान करने के अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात्, समग्र प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए, पिछड़ेपन, पदों के एक वर्ग में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के अनिवार्य कारण मौजूद होने चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भले ही राज्य के पास आरक्षण देने के कारण हों, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि लागू कानून मूल सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने एम. नागराज के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त अनुपात को लागू करते हुए, सूरज भान मीना और बनाम राजस्थान राज्य व अन्य और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में संबंधित राज्यों की आरक्षण नीति को रद्द कर दिया गया।

23. डॉ. धवन ने आगे कहा कि आरक्षण या गैर-आरक्षण का आदेश देने के लिए मेन्डोस लागू नहीं होगी। क्योंकि अनुच्छेद 16(4), (4ए) और (4बी) सक्षम प्रावधान हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने सीए राजेंद्रन बनाम भारत संघ व अन्य पर भरोसा किया। भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य. 13, भारत संघ बनाम. आर. राजेश्वरन और अन्य. 14, और अजीत सिंह (द्वितीय) के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया।

24. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया है।

25. निस्संदेह, सीए राजेंद्रन (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया हैः-

इसलिए हमारा निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 16(4) याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और भर्ती के प्रारंभिक चरण में या भर्ती के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है और राज्य को नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसका, उनकी राय में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता मामले के इस पहलू पर अपनी दलीलें पेश करने में असमर्थ रहा है।

26. इसी तरह, आर. राजेश्वरन (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा किः-

> "9. अजीत सिंह (द्वितीय) बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) विवेकाधिकार प्रदान करता है और ना कि संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व अधिरोपित करता है। अनुच्छेद 15(4) की

भाषा समान है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश बनाम केएस जगन्नाथन और अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम कुलदीप सिंह में विचार है कि आरक्षण या छूट प्रदान करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है। यह सही नहीं है और पहले की संविधान पीठों के निर्णयों के विपरीत है और इसलिए, इन दो निर्णयों को सही कानून बनाने वाला नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में, न तो वर्तमान मामले में प्रतिवादी कोई निर्देश मांग सकता था और न ही उच्च न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता था।

27. उपरोक्त आदेश ने अजीत सिंह (द्वितीय) के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की पिछली घोषणा को दोहराया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा किः-

28. हम अगले सवाल पर आते हैं कि क्या अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4-ए) आरक्षण के किसी मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये दोनों अनुच्छेद एक गैर-अस्पष्ट खंड के साथ खुलते हैं -

"इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता है। (जोर दिया गया)

एक ओर अनुच्छेद 16(1) और दूसरी ओर अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4-ए) में प्रयुक्त भाषा में स्पष्ट अंतर है । अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(4-ए) में अनुच्छेद 16(1) की तरह कोई निर्देश या आदेश नहीं है । प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 16(4) और 16(4-ए) में से प्रत्येक में उपरोक्त भाषा एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है और संविधान पीठों द्वारा 1963 से दिए गए निर्णयों और अन्य मामलों में इसे इसी प्रकार माना गया है।

28. हमारी राय में, डॉ. धवन की उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करना गलत है। यहां विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि क्या अदालत आरक्षण की नीति लागू करने के लिए परमादेश जारी कर सकती है। मुद्दा केवल यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि प्रतिवादी-राज्य अपने निर्णयों को लागू करता है? 31 जनवरी, 2013 के अपने निर्णय को लागू न करने के लिए राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र बहाना 117 वें संशोधन विधेयक का लंबित होना है। जैसा कि पहले देखा गया था, राज्य ने अतारांकित विधानसभा प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था कि आवश्यक डेटा एकत्र किया गया था। इसके अलावा, इस आवेदन के 4 जुलाई, 2012 के जवाब में राज्य ने उस डेटा के अस्तित्व को स्वीकार किया है जो 25 अप्रैल, 2011 को कैबिनेट उप-समिति के समक्ष रखा गया था, जिसका आधार 31 अक्टूबर, 2009 है। यह भी पुष्टि की गई कि 30 जून, 2011 की स्थिति

दर्शाने वाला ताजा डेटा शीघ्र ही उपलब्ध होगा। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने में प्रतिवादी राज्य के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। एम. नागराज में निर्देशों का अनुपालन न करना ही एकमात्र कारण था जिसके कारण उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर, 2007 के निर्देशों को रद्द कर दिया था। आवश्यक डेटा के संग्रह के साथ, आवश्यक निर्णय न लेने का कोई उचित कारण मौजूद नहीं है।

29. राज्य ने बहुत कुशलता से 2009 की एसएलपी (सी) संख्या 30143 में योग्यता के आधार पर निर्णय को टाल दिया है। इसके बाद, यह अपने स्वयं के निर्णय और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन से बचने के लिए गलत शुरुआत की एक श्रृंखला है। हमारा मानना है कि चूहे-बिल्ली का यह खेल काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए, हम इस औचित्य से संतुष्ट नहीं होंगे कि राज्य को 117 वें संशोधन के नतीजे का इंतजार करना होगा। हमें पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने पहले के फैसले को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए संशोधन की कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती। इसने 85 वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है । नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 7 सितम्बर 2007 को निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एससी/एसटी कर्मचारियों को वरिष्ठता देने का फैसला किया था. लेकिन 7 सितंबर, 2007 के इस परिपत्र

को 16 नवंबर, 2009 को परिपत्र संख्या PER(AP)-C-F(1)-1/2009 जारी करके उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में वापस ले लिया गया था। लेकिन इस परिपत्र के कार्यान्वयन पर 4 दिसंबर, 2009 को 2009 के एसएलपी (सी) संख्या 30143 में इस न्यायालय ने रोक लगा दी गई थी। इसके बाद राज्य ने 16 नवंबर के परिपत्र को वापस लेते हुए 20 जनवरी, 2010 को एक और परिपत्र संख्या पीईआर (एपी) -सीएफ (1) -1/2009 जारी किया। 2009. इस प्रकार, 7 सितंबर, 2007 के परिपत्र से पहले प्रचलित स्थिति पदोन्नति करने के लिए फिर से लागू थी। इसके बाद 23 जनवरी, 2010 को एक और परिपत्र जारी किया गया, जिसमें 16 नवंबर, 2009 के परिपत्र में संशोधन करते हुए "जहाँ भी आरक्षण उपलब्ध है" शब्दों को "जहाँ भी आरक्षण के आधार पर परिणामी वरिष्ठता लागू होगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया। इतने सारे परिपत्र जारी करना राज्य की पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के पूर्व निर्णय का पालन नहीं करने की मंशा का संकेत है। इसलिए, 26 अप्रैल, 2010 को इस न्यायालय के समक्ष एक चतुर कथन किया गया जिसके आधार पर एसएलपी का निपटारा कर दिया गया। हमारी राय है कि यह कथन केवल उच्च न्यायालय के विवादित फैसले की सत्यता के संबंध में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने से बचने के लिए था।

30. जब इस न्यायालय के समक्ष कोई कथन किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से, यह मान लिया जाता है कि यह ईमानदारी से किया गया है और यह न्यायालय तक पहुँचने का प्रयास नहीं है। इस न्यायालय द्वारा कई मामले, यहां तक कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल होते हैं, अक्सर पक्षों के विद्वान वकील द्वारा किए गए कथन के आधार पर निपटाए जाते हैं। कथन को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह बिना किसी संदेह के, ईमानदार, ईमानदार, सच्चा, गंभीर और न्याय के हित में माना जाता है। वकील के कथन से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह तुच्छ, शरारतपूर्ण, भ्रामक और निश्चित रूप से झूठा होगा। विद्वान वकील द्वारा किए गए कथनों में यह विश्वास इस धारणा पर आधारित है कि वकील को पता है कि वह न्यायालय का एक अधिकारी है। यहां हम एक वकील से अपेक्षित आचरण के बारे में रेंडेल बनाम वॉर्स्ले 15, के मामले में लॉर्ड डेनिंग के शब्दों की ओर इशारा करना चाहेंगे।

> "एक वकील के रूप में, वह न्यायाधीश के साथ समान रूप से न्याय मंत्री हैं कहता हूं कि "सम्मानपूर्वक वह सब कुछ कर सकते हैं" क्योंकि उनका कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल के प्रति नहीं है। न्यायालय के प्रति उनका कर्तव्य सर्वोपरि है। यह मान लेना गलत है कि वह अपने मुवक्किल का मुखपत्र है जो वह कहना चाहता है या वह जो निर्देश देता है उसे करने का उसका अधिकार है। वह एक उच्च

उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखता है। यह सत्य और न्याय का कारण है। उसे जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। उसे जानबूझकर सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। उसे अनुचित तरीके से धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाना चाहिए, यानी इसके समर्थन में सबूत के बिना। उसे सभी संबंधित अधिकारियों को पेश करना होगा, यहां तक कि वे भी जो उसके खिलाफ हैं। उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि उसका मुवक्किल आदेश दिए जाने पर संबंधित दस्तावेजों का भी खुलासा करे, यहां तक कि वे भी जो उसके मामले के लिए घातक हों। उसे अपने मुवक्किल के सबसे विशिष्ट निर्देशों की अवहेलना करनी चाहिए, यदि वे अदालत के प्रति उसके कर्तव्य के साथ टकराव करते हैं। जिस संहिता में यह सब करने के लिए बैरिस्टर की आवश्यकता होती है वह कानून की संहिता नहीं है। यह सम्मान की संहिता है।"

हमारी राय में, लॉर्ड डेनिंग का उपरोक्त उपदेश कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित नैतिक, और पेशेवर आचरण के बहुत उच्च मानक का एक उपयुक्त प्रदर्शन है। हम इस देश में किसी वकील से कम की उम्मीद नहीं करते हैं। इधर, इस मामले में, 26 अप्रैल, 2010 को

हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से एक कथन किया गया था कि राज्य एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करने और उचित समय के अर्थात, आवश्यक विवरण और डेटा एकत्र करने के लगभग तीन महीने के भीतर।"

भीतर उचित आदेश पारित करने का इरादा रखता है। 2009 की एसएलपी (सी) संख्या 30143 में योग्यता के आधार पर निर्णय को बहुत चतुराई से टालने के बाद, राज्य इस न्यायालय में दिए गए गंभीर बयान पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफल रहा है। 26 अप्रैल, 2010 से आज तक इसकी हेजिंग और हेम्ड और प्रीवेरिकेटिंग की गई है। अपेक्षित डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, राज्य द्वारा पहले से अपनाई गई आरक्षण की नीति लागू नहीं की गई है। इसलिए, हम डॉ. धवन से सहमत नहीं हैं कि आवेदक आरक्षण में नीति अपनाने के लिए परमादेश की मांग कर रहे हैं। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि आवेदक चाहते हैं कि राज्य अपने निर्णय स्वयं लागू करे।

31. प्रार्थना है किः-

"प्रतिवादी/राज्य सरकार को एक महीने की अवधि के भीतर 25.4.2011 को कैबिनेट उप समिति को पहले से उपलब्ध/प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर समयबद्ध

तरीके से मामले का निर्णय लेने का निर्देश दें और इस मामले में निर्णय लिए जाने तक सभी पदोन्नतियों पर सीधे रोक लगा दी जाएगी"।

32. उपरोक्त राहत न देने के लिए राज्य द्वारा पेश किया गया अंतिम बहाना यह है कि राज्य अब 117 वें संविधान संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम 26 अप्रैल, 2010 को इस न्यायालय में किए गए कथन का सम्मान नहीं करने के लिए दिए गए कारणों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह न्यायालय समय विस्तार के लिए राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित 117 वें संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करने का यह आखिरी बहाना ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रस्तावित 117 वां संवैधानिक संशोधन परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति देने के लिए याचिकाकर्ता की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन द्वारा, मौजूदा अनुच्छेद 16 खंड (4 ए) को निम्नलिखित खंड 4 ए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना हैः-

"(4 ए) संविधान में कहीं और कुछ भी निहित होने के बावजूद, क्रमशः अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा माना जाएगा और इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 335

के प्रावधान राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा।जिससे आरक्षण के प्रतिशत की सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करते हों

33. उपरोक्त के मात्र अवलोकन से पता चलेगा कि संशोधन का उद्देश्य आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने में किसी भी बाधा को दूर करना है। प्रस्तावित 117 वें संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताया गया है। संदर्भ की सुविधा के लिए, वस्तुओं और कारणों का विवरण यहां पुन प्रस्तुत किया गया हैः-

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 1955 से पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया है। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले के फैसले के बाद इसे बंद कर दिया गया था। भारत संघ, जिसमें यह माना गया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधिदेश से परे है । इसके बाद, संविधान (सत्तरवें संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान

में संशोधन किया गया और सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4 ए) जोड़ा गया। इसके बाद, आरक्षण देकर पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (4ए) को संविधान (पचासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

संवैधानिक संशोधनों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एम. नागराज बनाम यू आे आई और अन्य मामले में संवैधानिक संशोधनों की वैधता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए यह देखा कि संबंधित राज्य को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने से पहले प्रत्येक मामले में अनिवार्य कारणों, जैसे पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता का अस्तित्व दिखाना होगा।

एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रमशः राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने

संबंधित राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करने वाले इन उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा है।

यह देखा गया है कि वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा के संग्रह में कठिनाई होती है। इसके अलावा, इस अभ्यास की कार्यप्रणाली पर भी अनिश्चितता है। इस प्रकार, एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान में और संशोधन करने की माँगें उठाई गईं। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर 3-5-2012 को संसद में चर्चा हुई. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग संसद सदस्यों द्वारा उठाई गई है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 21-08-2012 को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। संविधान में संशोधन करने के लिए आम सहमति थी, ताकि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की योजना को जारी रखने में सक्षम बनाया जा सके, जैसा कि 1995 से मौजूद थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में बाधा

मुक्त आरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से अनुच्छेद 16 के खंड (4 ए) को प्रतिस्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन मामले में निश्चितता और स्पष्टता लाने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अनुच्छेद 16 के प्रस्तावित खंड (4ए) को मूल रूप से लागू उस खंड के लागू होने की तारीख से, यानी 17 जून, 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव देना भी आवश्यक है।

34. उपरोक्त में कोई संदेह नहीं है कि संशोधन अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति को पदोन्नति में बाधा मुक्त आरक्षण प्रदान करने और मामले में निश्चितता और स्पष्टता लाने की दृष्टि से है। इसके अलावा, उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन 17 जून, 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किया जाना है। उपरोक्त के मद्देनजर, आरक्षण की नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार के रास्ते में कोई बाधा नहीं हो सकती है जो 26 अप्रैल, 2010 को इस न्यायालय के समक्ष बयान देने से पहले विभिन्न निर्देश जारी होने तक मौजूद थी। अब इस नाटक को समाप्त करने का समय आ गया है यह विस्तार की कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है और राज्य को अपने बयानों का सम्मान करने के लिए बाध्य करती है।

35. इसलिए, हम इस अंतर्वर्ती आवेदन को अनुमति देते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य को निर्देश देते हैं कि वह इस मुद्दे पर 25 अप्रैल, 2011 को कैबिनेट उप-समिति को पहले ही प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर या इसके आधार पर अंतिम निर्णय ले। यह डेटा आज से तीन

महीने की अवधि के भीतर 30 जून, 2011 की स्थिति को दर्शाता है। अंतिम निर्णय होने तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कोई भी पदोन्नति करने से रोकने वाला निर्देश जारी रहेगा।

1. (1989) Supp 1 SCC 342.

2. 1992 (Supp) 3 SCC 217.

3. 1995 (2) SCC 745.

4. (2006) 8 SCC 212.

5. (2012) 10 SCC 235.

6. (1995) 6 SCC 684.

7. (1996) 2 SCC 715.

8. (1997) 10 SCC 474.

9. (1997) 6 SCC 538.

10. (1999) 7 SCC 209)

11. (2011) 1 SCC 467.

12. (2012) 7 SCC 1.

13. 1968 (1) SCR 721.

14. (2003) 9 SCC 294.

15. (1967) 1 QB 443.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अजय बिश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।